

पुलित हलक न्युम खण्ड 3 पाराशुट 65 के आलोक में बिहार सशस्त्र पुलित तथा अश्वारोही सैन्य बल के प्रत्येक हवलदार एवं आरथी को एक पीतल की थाली एवं एक पीतल का लोटा आनन्दकाल के लिए देय है। गृह आरथी विभाग के झापांक 4/कु0-1-2050/87 सुभा0 9451 दिनांक 28-9-88 के आदेश के आलोक में पीतल की थाली एवं लोटा के निम्न मूल्य से अधिक खर्चा करने तथा स्टोल को एक थाली तथा स्टोल का एक लोटा आपूर्ति करना श्रेयस्कर पाया गया है।

2- लोटा थाली का व्यास 14" तथा किनारा 2" होगा जो 22 गेज शीट की बनी होगी और अधिकतम बजन 600 ग्राम की होगी। स्टोल का लोटा एक लीटर पानी रखने की क्षमता का तथा 22 गेज शीट का बना होगा। इन मदों का कुल "सामग्री एवं पूंजियाँ" शीर्ष के अन्तर्गत किया जाएगा।

3- बिहार सशस्त्र पुलित एवं अश्वारोही सैन्य बल के लिए भोजन पकाने हेतु निम्नांशित वर्तनों का मापदंड निर्धारित किया जाता है, जिनका कुल "अन्य प्रभार" शीर्ष के अन्तर्गत किया जाएगा।

क एक प्लाटून में निम्नांशित वासन वर्तन रहेंगे जो केवल प्लाटून स्तर पर उपयोग किए जाएंगे :-

- 1- डेकची हैण्डल सहित सल्युमिनियम  
20" व्यास 10" गहराई बजन 3.5 के0जी0 । एक
- 2- लोहे की कड़ाही हैण्डल सहित  
व्यास 22" । एक
- 3- लोहे का तावा हैण्डल सहित  
व्यास 24" । एक
- 4- सल्युमिनियम का कौता  
व्यास 24", बजन 1/2 के0जी0 । एक
- 5- लोहे की छीलनी  
36" लम्बा, ब्लड 5" चौड़ा । एक
- 6- लोहे का करतूल  
18" लम्बा, कप का व्यास 5" । एक

ख प्लाटून के तीनों सेक्शन में प्रत्येक के लिए वर्तन का निम्नांशित माप दंड होगा। इन वर्तनों का रख-रखाव प्लाटून स्तर पर किया जाएगा तथा सेक्शन की प्रातानयुक्ति की अवस्था में वर्तन सेक्शन को मुहैया कराए जाएंगे :-

- 1- सल्युमिनियम की डेकची हैण्डल सहित  
18" व्यास, 8" गहराई, बजन 3 के0जी0 । एक
- 2- सल्युमिनियम की डेकची हैण्डल सहित  
14" व्यास, 6" गहराई, बजन 900 ग्राम । एक
- 3- लोहे की कड़ाही हैण्डल सहित  
15" व्यास । एक

- अ- 4- लोहे का तावा हैण्डल साहत 1 एक  
    § 12" व्यास §  
5- जो आइसो बाल्टी 1 एक  
    § 18" व्यास §  
6- रेस्युमानायम का जग हैण्डल साहत 1 एक  
    § 6" व्यास, 10" गहराई, बजन 500 ग्राम §  
7- लोहे की छीलनी 1 एक  
    § 18" लम्बा, ब्लेड 3" चौड़ा §  
8- लोहे का करतूल 1 एक  
    § 16" लम्बा, कप का व्यास 3½" §  
9- बाघ हैण्डल साहत, 15" लम्बा, तथा 1 एक  
    झाड़ का व्यास 5" §  
    लोहे का §  
10- लोहे का चमटा 15" लम्बा 1½" चौड़ा 1 एक  
11- फहसुल लोहे का § 18" लम्बे लकड़ी के  
    बेस पर 10" लम्बा (2) §  
    लोहे का ब्लेड होगा  
12- चकला लकड़ी का 10" व्यास जिसमें तीन 1 एक  
    पाँच लगे होंगे  
13- बेलना लकड़ी का 16" लम्बा 1 एक  
14- सोल मोटा मोर फोक पत्थर का 1 एक  
    बना हुआ  
    § 18" लम्बा, 10" चौड़ा, 3" मोटा §  
15- लोढ़ा मेटा मोर फोक पत्थर का 1 एक  
    बना हुआ  
    § 10" लम्बा, 3" चौड़ा §

4- उक्त मानक के आधार पर अपनी न्यूनतम आवश्यकता समादेष्टा महानरोधक सशस्त्र बल को संसूचित करेंगे। नए वर्तनों के लिए नमूने तथा लोहे, पोल् एवं रेस्युमानायम का प्रति किलो दर प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में महानरोधक, सशस्त्र बल तय करेंगे। इस अनुमोदित दर पर समादेष्टागण अपनी न्यूनतम आवश्यकतानुसार वर्तनों के क्रय पर प्रस्तावित व्यय सहायक आरधी महानरोधक प्रशासन एवं सोमानो क्यूओ संसूचित करेंगे ताकि तदनुसार उन्हें "सामग्री एवं पूतयों" तथा "अन्य प्रभार" मदों में अनाथ का आवंटन किया जाय। अनाथ का आवंटन पुलिस मुख्यालय से प्राप्त होने पर समादेष्टागण अपनी न्यूनतम आवश्यकतानुसार वर्तनों का क्रय अनुमोदित नमूने एवं दर के अनुसार अनुमोदित फर्म से करेंगे।

5- वर्तनों का क्रय अनाथ का आवंटन होने के पश्चात् अनाथ की उपलब्धता के अनुसार ही किया जाएगा। अनाथ आवंटन प्राप्त हुए वर्तनों का क्रय अथवा गैर अनुमोदित दर या नमूने पर या गैर अनुमोदित फर्म से क्रय करना आनयान

होश । इसी भी मामले में नुबतलय की अनुमति , स्वीकृत अथवा आवंटन की प्रत्याशा में कोई क्रय नहीं किया जाएगा ।

§ 77-4-1-88/अपूर्णा

आरक्षी महानदेशक, बिहार, पटना

क्रमांक 9532/स्त0 महानदेशक एवं आरक्षी महानरोक्षक का कार्यालय, बिहार  
77-4-1-88 पटना, दिनांक 8 मई, 1989

प्रतिपाद्य:-

- 1- आरक्षी महानरोक्षक, सशस्त्र बल/प्रोविजन्स, बिहार, पटना की सूचनाएं एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।
- 2- सभी आरक्षी उप-महानरोक्षक/समादेशक, बिहार सशस्त्र बल की सूचनाएं एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।
- 3- आरक्षी महानरोक्षक के सहायक प्रशासन/क्यू0, बिहार, पटना की सूचनाएं एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।
- 4- प्रशाखा पदाधिकारी पी0-1 प्रशाखा, महानदेशक एवं आरक्षी महानरोक्षक कार्यालय, बिहार, पटना को राजपत्र में प्रकाशन हेतु आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

आरक्षी महानदेशक, बिहार, पटना ।

बिन्द-2589/

1989  
26/5/89

....